HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt. No B/2074/ III-6-3/2018 Jabalpur,dated 26.../05/2018

The copy of Notification of the State Government, Department of Law & Legislative Affairs, Bhopal no. F.No. 17(E)/22/2018/21-B(1), 2224/2018 dated 22-05-2018 is forwarded to :-

1. The Deputy Controller, Government Printing Press, Arera Hills, Habibganj, Bhopal for Publication in the next issue of the M.P. Gazette,
2. The Principal Secretary, Government of M.P. Department of Law and Legislative Affairs, Bhopal for information,
3. The District and Sessions Judge, all in the State, for information and necessary action,
4. Shri/Smt.....
5. Deputy Registrar, (Confdl), Section Officer, Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information,
6. Computer Operater, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur;
7. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01-03-2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01-03-2018.

For information and appropriate action.

VARUN PUNASE
(OSD (DE)

1884

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश
23 MAY 2018

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 1/05/2018

फा.क्र.17(ई)22/2018/21-ई (एक) 2224/2018-- उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 के पालन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा 6 की उपधारा (1) तथा उपधारा (1–ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 एवं अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु इक्कीसवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है।

NOTIFICATION

F.No. 17(E) 22 /2018/21-E (1) 2224 /2018 - In compliance of the Order passed on 14.12.2017 by the Hon'ble the Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 699/2016, Ashwani Kumar Upadhyaya vs. Union of India & others as per the provisions of sub-section (1) of section 3 of the Prevention of corruption Act 1988, as per the provisions of sub-section (1) and sub-section(1-A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti evem Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 and as per the provisions of sub-section (1) of section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 the Government of Madhya Pradesh in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court of XXI th Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Courts to try

23 MAY 2018

M.P. Notification Page 1 of 4

REGISTRAR GENERAL
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR
O.S.D. (D/E)

SO (Checker) 23-5-18

the offences registered under the Prevention of corruption Act 1988, Madhya Pradesh Dakaiti evem Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities) Act, 1989 against the Member of Parliament and Member of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.क्र. 17(ई)22/2018/21-च(ई.म.)2224/2018, भोपाल, दिनांक /05/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग, नई दिल्ली की ओर अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 1017/8/2017-JUS-II, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के संदर्भ में।
2. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, की ओर अधिसूचना क्रमांक बी/2387, दिनांक 01.05.2018 के संदर्भ में।
3. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित (केवल मुद्रणालय के लिये)।
5. शाखा प्रभारी, आय.टी. शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।

(आर0 के0 वाणी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग